न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 04/2019

अपीलार्थीगण– *बनाम* **उत्तरदाता–**

1. देवेन्द्र पुत्र शंभुदयाल
2. रवि पुत्र शंभूदयाल

जाति अग्रवाल निवासी प्लॉट
नंबर ए–6 सेठी कॉलोनी
ट्राँसपोर्ट नगर जयपुर

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार पचपदरा

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.01.2019 जो प्रकरण सं. 32/2018 सरकार बनाम देवेन्द्र व अन्य में तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री करनाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 26.02.2021

1. अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रकरण सं. 32/2018 सरकार बनाम देवेन्द्र व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2019 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का पचपदरा द्वारा तहसीलदार पचपदरा के समक्ष एक रिपोर्ट दिनांक 24.10.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम [illegible] खसरा नंबर 1661/38 रकबा 3–00 बीघा किस्म बा0दो0 जो खातेदारी भूमि है में से 1–00 बीघा पर गैर कृषि प्रयोजनार्थ दुकान व धर्मकांटा स्थापित कर खातेदारी भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर लिया है जो अवैध है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 90(ए) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायलान को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। वक्त पेशी गैर सायलान बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहे। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमी मानते जुर्माना रूपये 20 आरोपित किया जाकर विवादित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 11.02.2019 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एवं नोटिस की समुचित तामीली के बिना ही अपीलाधीन कार्यवाही सम्पन्न ही गई है जो एकपक्षीय होने से उक्त आदेश पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

5. अपीलांट्स की ओर से यह भी प्रकट किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में अपीलांट की तलबी हेतु जारी नोटिस स्वयं अपीलांट पर तामील नहीं होकर अपीलांट के [illegible]न पर चस्पा किया जाना अंकित किया है किन्तु मौ[illegible] निशान अंकित नहीं हैं जिनके रूबरू चस्पा किया गया। अपीलाधी[illegible] कार्यवाही दिनांक 19.12.2018 में नोटिस तामील होकर प्राप्त होना तथा विप्रार्थीगण अनुपस्थित होने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उल्लेख करते हुए पुनः नोटिस जारी करने का आदेश देकर पत्रावली दिनांक 25.01.2019 को प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया है। दिनांक 25.01.2019 को नोटिस अदम तामील प्राप्त होना तथा विप्रार्थीगण अनुपस्थित होना दर्शाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया है। अपीलांट्स ने उक्त भूमि दिनांक 03.06.2013 को क्रय की थी तथा उसमें रहने हेतु एक कमरे का निर्माण किया था जिसे हलका पटवारी ने दुकान बताया है जबकि मौके पर किसी तरह का संचालन नहीं किया जा रहा था। अधीनस्थ न्यायालय में हलका पटवारी की रिपोर्ट की ताईद में किसी गवाह के बयान नहीं लिये तथा न ही स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि पर कमरा निर्माण करना कोई गलत कार्य नही है तथा न ही अपीलकर्ता ने उक्त भूमि को अकृषि कार्य हेतु उपयोग में लिया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही दर्ज कर लिया एवं इस बाबत मुर्तिब की गई मौका रिपोर्ट अपीलांट्स की अनुपस्थिति में एकपक्षीय तैयार की गई हैं। इस प्रकार बिना अपीलांट की सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत / मौका रिपोर्ट रेकर्ड पर लिये,अपीलांट को कथित रूप से अतिक्रमी मानना कतई न्यायोचित नहीं होगा। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रकरण सं. 32 / 2018 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.01. 2019 अपास्त किये जाने का आदेश पारित करावें।

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम सिंधियों की ढाणी के खसरा नम्बर 1661 / 38 रकबा 03—00 बीघा किस्म बा0दो0 खातेदारी भूमि मे से 1—00 बीघा भूमि पर गैर कृषि प्रयोजनार्थ दुकान एवं धर्मकांटा स्थापित कर अनाधिकृत रूप से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया है, इस पर अपीलांट को नोटिस जारी किया किन्तु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो उपस्थित हुए और न ही कोई ठोस एवं संतुष्टिपरक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । इस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलांट के विरूद्ध धारा 90(ए)(5) के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलांट को मुतनाजा भूमि पर अवैध अतिक्रमी घोषित किया गया हैं एवं अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित कर बेदखली का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है तथा अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया एवं अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने अपनी संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1661 / 38 रकबा 03–00 बीघा में अपने निजी उपयोग हेतु कमरा निर्माण किया जाना प्रकट किया है, किन्तु हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार 1–00 बीघा भूमि पर दुकान निर्माण एवं धर्मकांटा स्थापित किया गया हैं। इस आशय की रिपोर्ट हलका पटवारी द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर गैर सायलान खातेदारान के नाम उनके स्थाई निवास के पते पर नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस तामील हेतु तहसील पचपदरा के सवार को दिये गये हैं जबकि नोटिस में पता जयपुर का अंकित है। तहसील के सवार द्वारा नोटिस की पुश्त पर हलफिया रिपोर्ट की गई है कि "आसामी बाहर गया हुआ है आसामी के आबाद मकान पर चस्पा की गई ये रिपोर्ट बाद तामील सेवा में पेश है"। उक्त रिपोर्ट पूर्णतया अस्पष्ट एवं संदिग्ध है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना गौर किये आदेशिका दिनांक 19.12.2018 में नोटिस तामील मान लिया गया है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से उन्हें पुनः नोटिस जारी करने की आदेशिका जारी की गई एवं उक्त नोटिस अदम तामील प्राप्त होने पर भी दिनांक 25.01.2019 को अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना सम्पन्न की गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होने से बहाल रखे जाने योग्य प्रतीत नहीं होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:36 IST
Reason: SelfAttested

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2019 अपास्त किया जाकर पुनः इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधिसम्मत कार्यवाही सम्पन्न कर प्रकरण का निस्तारण करें।

9. निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:36 IST
Reason: SelfAttested